तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय नम्बर हस्ताक्षर जज
6.5.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री अभिषेक कुमार कुमावत एडवोकेट उपस्थित हुए। वहीं प्रार्थीया ने प्रकरण में दिनांक 18-11-2022 को डाक्टरी स्थगन आदेश जारी होने के बावजूद पिछले 3 वर्षों में एक पक्षीय आदेश की तामील नहीं करवायी जबकि नहीं आदेश 39 नियम 3(क) के प्रावधानों की रोशनी पालना नहीं की गई है। अतः इसी परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18-11-2022 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को — प्रभावहीन की जाती है। वास्ते पेश होने समक्ष तलबाना बाबत तलबी अनुपालना पत्रावली दिनांक 27.05.2025 को पेश हो।
	सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
27.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28-7-25 को पेश हो।
28-7-25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 15-10-25 को पेश हो।
15.10.25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण में बोर्ड समक्ष वकील का कोई आवाज दिलवायी गयी। वकील प्रार्थी में से कोई [illegible] हाजत नहीं आये हैं। अतः वकील प्रार्थी [illegible] पत्र अनुसार निषेधाज्ञा (अन्तर्वर्ती [illegible] आदेश) को [illegible] में स्थगित किया जाता है। पत्रावली [illegible] हुकुम होकर बाद तामील हाजिर रहे।
	सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.17 17:01:36 IST
Reason: SelfAttested